points concern the State Government, and some concern the Central Government. In fact the Ministries write to them direct. If they do not reply they can come to me, or write to me.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes, yes. You bring it to their notice.

SHRI BUTA SINGH : Kindly let me clarify my position. I am only a post-man. If he writes a letter to his beloved and if he does not get a reply, what can I do ?

श्री राम लाल राही : साथ में यह भी कह दें कि सदस्यों की इच्छा के अनुसार जवाब दें।

SHRI BUTA SINGH : He cannot expect me to write a reply.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Rahi, if you do not get a reply you can write to the Minister.

(x) Opening of Cooperative Sugar Mill in Machharheta (Sitapur), U.P.

श्री राम लाल राही : केन्द्र सरकार सहकारी व निजी क्षेत्रों में चीनी मिलों के निर्माण की स्वीकृति एवं सहायता की व्यवस्था करती है। उत्तर प्रदेश में जनपद सीतापुर प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। तीन चीनी मिलें निजी क्षेत्र में और एक सहकारी क्षेत्र में होने के बावजूद भी पूरे उत्पादित गन्ने की पेराई मिल नहीं कर पाते। हर वर्ष नवम्बर से लेकर जुलाई तक मिलों में पेराई होने के बावजूद 15-20 फीसदी गन्ना खेतों में खड़ा रह जाता है। किसान की लागत व मेहनत सब बेकार जाती है। गुड़, खांड़सारी व सल्फर यूनिट के मालिक भी गन्ने की खरीद मनमाने दामों पर करते हैं। 5 रुपया से लेकर 9-10 रु० क्विंटल के बीच खरीद होती है। वहां पर भी समय पर किसान को कीमत नहीं मिलती। इन यूनिटों के मालिकों से प्रदेश भर के किसानों को सरकार उचित गन्ने का दाम दिलाने में असफल रही है।

जिला प्रशासन ने जनपद सीतापुर के मछरेहता तथा लहरपुर तम्बौर के मध्य सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलें लगाये जाने की आवश्यकता की तरफ प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इन क्षेत्रों में चीनी मिल लगाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों के लगाये जाने की घोषणा पर ही हजारों की तादाद में किसान सदस्य बन, अंश पूंजी देने को तैयार हैं।

हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि सीतापुर के मछरेहता तथा तम्बौर लहरपुर के मध्य लालपुर बाजार के निकट सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल बनाये जाने के लिए प्रदेश सरकार को सहायता दे। यह भी मांग है कि गुड़, सल्फर, खाण्डसारी के मालिकों को कानून बनाकर विवश करे कि वह किसानों को गन्ने का उचित व निर्धारित नकद मूल्य देने के लिए विवश हों।

CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we take up Bill for Consideration. Hon. Members, the time allotted to this Bill was four hours. We have already exhausted 2 hrs. and 28 minutes and we have got one hour and 32 minutes more. I think the hon. Members will cooperate and the Minister will reply at least at five o'clock and we will complete the Bill today. I want your cooperation. Thank you.

Now Shri A.T. Patil to continue his speech. He has already taken 120 seconds.

SHRI A.T. PATIL (Kulaba) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I was referring to the special features of this piece of legislation last time. Without going into the deeper explanations, I can straightway go to the distinguishing features of this sexual offence. Firstly, in this offence the victim is invariably a woman. There cannot be a man who can be a victim of this offence. So far as the definition of this offence is concerned, it is only the woman who is supposed to be the victim. I do not wish to enter into that sort of a situation where the man can equally be a victim of a sexual offence, if necessary, I shall refer to it during